



प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 10 दिसम्बर, 2020

विषय:-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि में से मूल सिविल कार्य हेतु रु. 525.00 करोड़ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-2298/यूपीडा/14/लेखा/वित्त नि० दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 24-वृहद निर्माण कार्य" मद में बजट प्राविधानित अवशेष धनराशि रु० 1050.00 करोड़ में से परियोजना के मूल सिविल कार्यों हेतु रु० 525.00 करोड़ (रु० पांच सौ पच्चीस करोड़ मात्र) निर्गत करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) नोडल एजेंसी यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।
- (2) उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु प्राविधानित राज्य सरकार के योगदान की धनराशि रु० 1400 करोड़ के अतिरिक्त होगी। राज्य सरकार के योगदान में रु० 1050 करोड़ की वृद्धि होने के फलस्वरूप परियोजना के सिविल निर्माण कार्यों हेतु बैंक कन्सोर्शियम से लिये जाने वाले कुल ऋण रु० 12000 करोड़ के स्थान पर अब यूपीडा द्वारा रु० 10,950 (12000-1050) करोड़ का ऋण लिया जायेगा।
- (3) उक्त धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा "Scheme for special assistance to states for capital expenditure in 2020-2021" के अन्तर्गत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि रु० 1050 करोड़ में से अवमुक्त धनराशि रु० 525 करोड़ के सापेक्ष निर्गत की जा रही है।
- (4) यूपीडा द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त मदवार व्यय का विवरण भी पृथक से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (5) यदि आहरित धनराशि पर कोई व्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
- (6) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020, शा० संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दि० 11.04.2020 एवं 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक "5054.सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क निर्माण कार्य 04-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा० संख्या-ई-6-906/ दस-2020, दिनांक 10.12.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या- 46/2020/2714(1)/77-3-2020, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य, वरिष्ठ व कोषाधिकारी, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (ई) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार सिंह
अनु सचिव।